गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय)
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ
दूरभाष संख्याः **(0522) 2732193,** फैक्स संख्याः **2732185.**

पत्र सं0: जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/2012/ 3058 दिनांक: 19 जून, 2012

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य
गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय
से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थान

विषय: विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थानों में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से रोक थाम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या: 739/आशु0(टीजी)/2012 दिनांक 11 जून, 2012 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में सूचित करना है कि गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थानों में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाए जाने हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11 जून, 2012 में क्रम संख्या 01 से 26 तक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त से अवगत होते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी सूचित है कि यदि रैगिंग की कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त/

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. स्टाफ आफीसर कुलपति कार्यालय, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

Office letter

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

पत्रॉक : 739/आशु0 (टी0जी0)/2012 दिनॉक : 11 जून, 2012

1– कुल सचिव,गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय,लखनऊ।
2– रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
4– जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
5– बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से रोकथाम हेतु प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1871/सोलह–1–2012–250/ 96 टी0सी0, दिनॉक 28 मई, 2012 के क्रम में कतिपय निर्देश निर्गत किये जा रहे है जिसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें :–

(1) सत्र के प्रारम्भ से ही रैंगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे होने की सूचना संस्थान में जगह–जगह पर प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय तथा रैंगिंग में लिप्त पांये जाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था को बैनर–होर्डिंग्स के माध्यम से संस्थान में प्रदर्शित किया जाए।

(2) प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावक से प्रवेश के समय शपथ–पत्र लिया जाये कि यदि वे संस्थान मे रैंगिंग में पकड़े गये जो संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रों की होगी।

(3) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सत्र के प्रारम्भिक कम से कम दो माह रैंगिंग विरोधी दस्ते अनिवार्य रूप से बनाये जाये। इन दस्तो द्वारा प्रतिदिन दिन/रात में छात्रावासों तथा परिसर में एकान्त स्थलों पर एवं ऐसे स्थानों पर जहॉ रैंगिंग की सम्भावना हो, जैसे पुस्तकालय, कैन्टीन आदि का निरीक्षण किया जाये। हास्टल परिसरों मे विशेष रूप से रात्रि एवं अवकाश के समय तथा शिक्षण कक्षाओं के समीप दस्तों/सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आकस्मिक एवं पुनर्निरीक्षण किया जाय।

(4) संस्था द्वारा निर्धारित कोड से भिन्न यदि छात्र समूह द्वारा कोई अनौपचारिक कोड विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बनाए जाने की बात प्रकाश में आती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(5) एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय प्रथम वर्ष के छात्रों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाय।

(6) सभी संस्थानों में जहां पर प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं, वहां पर यह सुनिश्चित करें कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं वे रात्रि में छात्रावासों के चारों ओर गश्त लगायें। उनकों पूरी तरह से हिदायत दे दी जाय।

(7) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में नये छात्रों को संस्थान के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर दी जाय, जिससे कि सीनियर छात्रों द्वारा नये छात्रों की कम जानकारी का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

(8) नवीन छात्रों के लिए छात्रावास परिसर, वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास परिसर से दूर ही रखा जाय एवं दोनों छात्रावासों के बीच पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सुनिश्चित किया जाय। यदि छात्रावास समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो नये छात्रों को ही परिसर छात्रावास में रखने की व्यवस्था की जाय। वरिष्ठ छात्र बाहर रह सकते है।

––2––

(9) कई बार देखा गया है कि वरिश्ठ छात्र बाहरी तत्वों अथवा कालेज के छात्रावास में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे पूर्व छात्रों अथवा अन्य संस्थानों के छात्रों के संरक्षण में रैंगिंग जैसी गम्भीर गतिविधियों में लिप्त होते है। अतः संस्था के प्राचार्य/वार्डेन का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी दशा में शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में वर्तमान में उसी संस्थान में शिक्षारत छात्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाय।

(10) संस्था में अध्ययनरत वरिष्ठ छात्रों को भी रैंगिंग रोकने हेतु सम्मिलित किया जाय तथा उनका दायित्व निर्धारित किया जाये।

(11) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अध्यापक संरक्षक/अभिभावक की समुचित संख्या पर सहायता समूह (एडवाइजरी ग्रुप) बनाये जाये जिससे अध्यापक छात्रों के सम्पर्क में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण अविलम्ब कर सकें।

(12) सभी संस्थाओं में शिकायत पेटिकायें रखी जाये जिससे छात्र बिना किसी पहचान के अपनी शिकायत पेटिका में डाल सके। संस्था के प्राचार्य/निदेशक स्वयं इन पेटिकाओं में प्राप्त शिकायतें आदि की जांच/निराकरण करायें।

(13) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के माता–पिता, एवं स्थानीय अभिभावक के बारे में विस्तृत विवरण सभी की फोटो सहित तीन प्रतियों में अवश्य प्राप्त किया जाय। कार्यालय की प्रति के अतिरिक्त एक प्रति आगन्तुक कक्ष में तथा एक प्रति कुलानुशासक (प्राक्टर) के पास सदैव उपलब्ध होनी चाहिए।

(14) छात्रावासों में समस्त छात्रों विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए छात्रावासों में आने वाले आगन्तुकों के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाये तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी उक्त निर्धारित रात्रिकालीन समय के उपरान्त प्रातःकाल तक बिना किसी अनुमति के बाहर न जाने दिया जाय।

(15) विगत कुछ समय से रात्रि के समय रैंगिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के दृटिगत यह आवश्यक है कि सत्र के प्रारम्भ में कम से कम दो–तीन माह तक 09:00 बजे के बाद किसी प्रथम वर्ष के छात्र के साथ किसी भी वरिष्ठ छात्र का सम्पर्क प्रतिबन्धित कर दिया जाय। रैंगिंग निरोधक दस्तों द्वारा वि शेष रूप से ऐसे छात्रावासों में, जहॉ प्रथम वर्ष के साथ अन्य वर्षो के छात्र भी रहते है, आकस्मिक एवं रात्रिकालीन पुर्निरीक्षण द्वारा उक्त का कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) सभी छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षिका/अधीक्षक छात्रों की उपस्थित पंजिका बनायें तथा रात्रि में अनिवार्य रूप से वि शेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों की उपस्थिति/गणना की जाय। उसमें सुनिश्चित करें कि जो छात्र/छात्रा अनुपस्थित हैं, उन छात्रों द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी है या नहीं। छात्रों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को उनके दूरभाष/मोबाइल पर तत्काल सूचित किया जाय कि आपका पाल्य छात्रावास में बिना अनुमति के इतने घण्टे अनुपस्थित रहा और यह भी सूचित कर दिया जाय कि इस प्राकर की अवहेलना न करें तथा भविष्य में इसकी पुनरावृन्ति होती है तो छात्रावास से निष्कासित कर दिया जोयगा।

(17) सभी संस्थानो में धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ (मद्यपान) सेवन पर रोक लगायी जाय। यह दायित्व संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा। यदि कोई छात्र धूम्रपान या मद्यपान करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे दण्डित किया जायेगा।

(18) समस्त शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा परिसर के भीतर लाइसेन्सयुक्त अग्नेयास्त्र सहित समस्त

प्रकार के हथियार रखा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।

(19) यदि किसी छात्रावास में रैंगिंग होना पाया जाता है तो उस छात्रावास के संरक्षक (वार्डेन) की गुण–दोष के आधार पर जवाबदेही निर्धारित की जाय। वार्डेन शिकायत पेटियों में तथा अन्यथा प्राप्त समस्त शिकायतों के सामयिक निस्तारण के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(20) प्रत्येक अभियंत्रण संस्थान के प्राचार्य/निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि उक्त संस्थान में सत्र के प्रारम्भ से पूर्व ही अनिवार्य रूप से प्राक्टोरेल बोर्ड का गठन किया जाय तथा इसकी औपचारिक जानकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त स्थानीय थाने में भी दे दी जाय।

(21) सत्र के प्रारम्भ में न्यूनतम दो माह तक विशेष रूप से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ परिसर में संस्था के प्रशासन की रैंगिंग विरोधी कार्यवाही में सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

(22) प्राक्टर द्वारा प्रशासन/जिला प्रशासन के सहयोग से पुरूष/महिला को वर्दी अथवा आवश्यकतानुसार सादे वेष में भी संस्थान एवं छात्रावास परिसर के मुख्यद्वार आदि में भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगें।

(23) सभी इंजीनियरिंग कालेजो के प्रशासन द्वारा सत्र प्रारम्भ के दो माह में प्रत्येक पक्ष अपने विभागों के सचिवों का परिसर में रैंगिंग की स्थिति एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। यदि इस बीच कोई अप्रिय घटना हुई हो तो उसे भी अवश्य सूचित करेंगे।

(24) सभी संस्थानों में रैंगिंग रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाय, जिसमें छात्र, अध्यापक एवं अभिभावक भागीदारी करें तथा नियमों की जानकारी दी जाय।

(25) संस्थानों में इस प्रकार की घटनाओं में दोषी पाये जाने वाले छात्रों पर नियमानुसार कठोरतम् कार्यवाही उनके दोष के आधार पर छात्रावास के निष्कासन, संस्थान से निलम्बन, जी0डी0 मार्क में कटौती, मेस से निलम्बन एवं स्कालरशिप बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। ऐसी कार्यवाही बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। ऐसी कार्यवाही की सूचना तत्काल शासन को प्रेषित कर दी जाय।

(26) इन सभी सहयोगात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण अन्य छात्रों के संज्ञानार्थ संस्थान में जगह–जगह जहां से छात्र गुजरते हों, वहां पर चस्पा कर दिया जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि रैंगिंग की कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा। अतएव उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप संस्था पर रोक लगाने हेतु तत्परता एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

16.12

(उमेश मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (नगर–टी0जी0),
लखनऊ।